



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)
CIN:U322001UP1999SGC024928

संख्या : 1487-प्रशि0-10/पाकालि/2014-7-प्रशि0/2010

दिनांक : ०१-१२-२०१४

- | | |
|--|---|
| 1 मुख्य अभियन्ता (सी0एम0यू0टी0),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। | 2 मुख्य अभियन्ता (पारेषण-मध्य),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
लखनऊ। |
| 3 मुख्य अभियन्ता (पारेषण-पूर्व),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
इलाहाबाद। | 4 मुख्य अभियन्ता (पारेषण-पश्चिम),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
मेरठ। |
| 5 मुख्य अभियन्ता (पारेषण-दक्षिण),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
आगरा। | 6 मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण-I,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
इन्दिरा नगर लखनऊ। |
| 7 मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण-II,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ। | 8 मुख्य अभियन्ता (संचार एवं नियन्त्रण),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन
लखनऊ। |
| 9 मुख्य अभियन्ता
765 के0वी0 परिकल्पना इकाई,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ। | 10 मुख्य अभियन्ता (परिकल्प एवं कय),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ। |
| 11 मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली एवं परिचालन),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन
लखनऊ। | |

विषय :- उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम-2010 के क्रियान्वयन हेतु गठित 'कार्मिक आमेलन समिति' को अन्तरण स्कीम की अनुसूची 'क' (क) से आच्छादित कार्मिकों से प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अन्तरण) स्कीम-2010 के अन्तर्गत अन्तरण स्कीम की अनुसूची 'क' (क) (अंश संलग्न) में आच्छादित कार्मिकों से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में स्थायी आमेलन हेतु

आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन द्वारा 'कार्मिक आमेलन समिति' का गठन किया गया है। कार्मिक आमेलन समिति की दिनांक 05-09-2014 को सम्पन्न हुई बैठक में पूर्व में प्राप्त प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए पुनः प्रत्यावेदन मांगने का निर्णय लिया है। अन्तरण स्कीम के प्राविधानों के अनुसार अनुसूची 'क' (क) में वर्गीकृत कार्मिक अन्तिम आधार पर पारेषण कम्पनी को अन्तरित व उसमें आमेलित हुये माना गया है। ऐसे कार्मिक जो उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में ही अथवा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अपना स्थायी आमेलन चाहते हैं उनके लिये सम्बन्धित निगम में स्थायी आमेलन हेतु प्रत्यावेदन तैयार किया गया है जिसका प्रारूप 10 प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों से प्रत्यावेदन की प्राप्ति (Acknowledgement) की प्रति दिनांक 30-12-14 तक उपसचिव (प्रशि0) कमरा सं0-610, शक्ति भवन (मु0) को अवश्य उपलब्ध करा दें। प्रत्यावेदन भरते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये :-

1. सभी स्तर के कार्मिकों हेतु प्रत्यावेदन प्रपत्र एक ही है।
2. कारपोरेशन में प्रत्यावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30-12-14 है।

अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को अवगत करा दें कि यदि प्रत्यावेदन प्रपत्र दिनांक 30-12-14 तक कारपोरेशन मुख्यालय में नहीं प्राप्त होते हैं तो समिति स्वविवेक से निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(बी0डी0 पाण्डेय)

**अपर सचिव (का0प्र0-01)
एवं संयोजक आमेलन समिति**

संख्या : 1487 (i) प्रशि0-10/पाकालि/2014

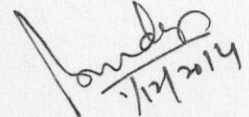
तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अपने कार्यालय में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रत्यावेदन की 10 प्रतियों एवं अनुसूची-क (क) की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (आपरेसन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कार्यकारी अपर सचिव (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/मेरठ/इलाहाबाद/आगरा।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत (ज्ञानपद) पारेषण मण्डल, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/मुरादाबाद/इलाहाबाद/आगरा।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण/उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12. अधीक्षण अभियन्ता, ऊर्जा प्रणाली, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण नियोजन, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत अनुतरंग एवं दूरसंचार मण्डल, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
15. अधीक्षण अभियन्ता, एस०एल०डी०सी०-E.O. मण्डल, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधीक्षण अभियन्ता, यूनीफाइड लोड डिस्पैच मण्डल, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधीक्षण अभियन्ता, इलैक्ट्रीसिटी कैरियर वं क्प्यूनिकेशन मण्डल, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. संयुक्त सचिव (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशासी अभियन्ता (वैब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. सूचना पट्ट।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।



(बी०डी० पाण्डेय)

अपर सचिव (का०प्र०-०१)
एवं संयोजक आमेलन समिति

अनुसूची-क
कृपया नियम 3(2) देखें

पारेषण उपक्रम के कार्मिकों के अन्तरण के लिए व्यवस्थायें :

(क)- नीचे सूची में यथा दर्शित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की इकाइयों से सम्बन्धित कार्मिक अपने अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्तरण के प्रभावी दिनांक को पारेषण कम्पनी को अन्तरित माने जाएंगे :

1. मुख्य अभियंता (पारेषण), लखनऊ { उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश सं0 151 दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के अनुसार वर्तमान में मुख्य अभियन्ता (आपरेशन) एवं मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट) }।
2. मुख्य अभियंता (पारेषण मध्य), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद।
4. मुख्य अभियंता (पारेषण पश्चिम), मेरठ।
5. मुख्य अभियंता (पारेषण दक्षिण), आगरा।
6. मुख्य अभियंता (सिविल) पारेषण- I, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता (सिविल) पारेषण- II, लखनऊ (शक्ति भवन मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता एवं इनके अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर)
8. मुख्य अभियंता (संचार एवं नियंत्रण), लखनऊ (विद्युत निर्यात आयात एवं भुगतान मण्डल को छोड़कर)
9. मुख्य अभियंता (ए0पी0टी0पी0), लखनऊ।
10. मुख्य अभियंता (परिकल्प एवं क्रय), लखनऊ।
11. मुख्य अभियंता (ऊर्जा प्रणाली), लखनऊ/एसएलडीसी जिसमें समस्त एएलडीएस सम्मिलित हैं।
12. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण, नियोजन एवं ऊर्जा संगठन।

(ख)- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को अन्तरित किये जाने हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की निम्नलिखित इकाइयों से कार्मिकों (पदों) को चिन्हित किया गया:-

1. उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
2. विद्युत आयात-निर्यात एवं भुगतान मण्डल (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
3. ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
4. मानव संसाधन एवं विकास संगठन (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
5. वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
6. कम्प्यूटरीकरण इकाई (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
7. प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
8. रेगुलेटरी अफेयर यूनिट (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
9. मुख्यालय लेखा सर्वग (अनुसूची- ख के अनुसार पद)
10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) (अनुसूची- ख के अनुसार पद)

टिप्पणी:-

1. उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को पदों के स्थानान्तरण पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, संस्थागत जरूरतों को ध्यान में रख कर कार्मिकों (पदों) की मांग की सूक्ष्म परीक्षण/समीक्षा करेगा और पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव यदि कोई है, सक्षम अधिकारी को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजेगा।
2. यदि अन्तरक या अन्तरिती के निदेशक मण्डल के कुछ कार्यों से कुछ पदों के नाम बदल जाते हैं तो उक्त बदले हुए पदनाम वर्तमान स्थिति में स्वतः लागू होंगे।

प्रत्यावेदन

पारेषण उपक्रम के कार्मिकों के अन्तरण हेतु

उ०प्र० विद्युत सुधार (उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अधिकारियों और कर्मचारियों का उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में अन्तरण) स्कीम-2010 में निहित प्रविधानों के अन्तर्गत अनुसूची 'क' में इंगित कार्मिकों के स्थायी रूप से/अन्तिम आमेलन हेतु प्रत्यावेदन

(प्रत्यावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30.12.14 निर्धारित की गई है। प्रत्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में 'आमेलन समिति' द्वारा माना जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में आमलित होना चाहता है। दिये गये प्रत्यावेदन अन्तिम एवं बाध्यकारी होंगे)।

1. कार्मिक का नाम :
2. पदनाम :
3. कार्मिक के पिता/पति का नाम :
4. जन्म तिथि (अंको एवं शब्दों में) :
5. गृह जनपद :
6. क्या आप निम्नलिखित वर्ग के हैं :
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अन्य आरक्षित श्रेणी (जो लागू न हो काट दें)
7. योग्यता : (क) शैक्षिक : (ख) व्यावसायिक :
8. विशिष्ट प्रशिक्षण का विवरण :
9. वर्तमान तैनाती स्थल :
10. वर्तमान खण्ड/मण्डल/परियोजना का नाम :
11. तैनाती की तिथि : वर्तमान पद पर : वर्तमान क्षेत्र/इकाई
12. पूर्व सेवाकाल में विभिन्न स्कन्धों में तैनाती की कुल कार्य अवधि (वर्षों में)

क्र०सं०	स्कन्ध का नाम	तैनाती की अवधि/पदनाम	तैनाती की कुल अवधि (वर्षों में)
1	वितरण		
2	पारेषण		
3	शक्ति भवन (मु०)		
4	अन्य		

(2)

13. मैं, उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम-2010 के खण्ड-4 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के आधार पर अपने स्थाई आमेलन हेतु प्रत्यावेदन दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1.

2.

14. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि इसमें कोई असत्यता/भ्रम पाया गया तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर :
कार्मिक का पूरा नाम :
एवं पदनाम तथा पता :
अभिज्ञान संख्या (अभियन्ता अधिकारियों हेतु) :

15. नियंत्रक अधिकारी :

उपरोक्त विवरण कार्यालय अभिलेख/मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
कार्यालय की मोहर :

(6)